निदेश सं 81

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

फ. सं. ए – 110018/01/2021-सी. ए. क्यू. एम./1324-1347 दिनांक: 14.06.2024

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत निदेश - दिल्ली-एनसीआर में अंतर-शहर बस सेवाओं को स्वच्छ साधनों में स्थानांतरित करना।

1. जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है । (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित) ।

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझें ।

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2) (ix) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करें और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे ।

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) के तहत आयोग के पास अधिकार है कि वह किसी भी उद्योग, सञ्चालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है ।

5. जबकि, पूरे एनसीआर में परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण का उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक योगदान है जो विशेषत: सर्दियों के मौसम में और अधिक होता है । दिल्ली एनसीआर के अन्दर और अंतर शहर बस सेवाओं से वायु प्रदूषण कम करने में कुशल एवं स्वच्छ सार्वजानिक बस सेवाओं से मदद मिलेगी ।

6. जबकि, देश भर के राज्यों/क्षेत्रों से दिल्ली के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी अंतर-शहर बस सेवाओं की चिंताओं के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने दिनांक 19.01.2023 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 10एएस/एसटीए/टीपीटी/2022/208 के माध्यम से देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली में केवल स्वच्छ बस सेवाओं को सीएनजी/ईवी/बीएस-VI डीजल मोड के माध्यम से स्थानांतरित करने की दिशा में काम करने का अनुरोध किया है ।

7. जबकि, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और एनसीआर के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी ।

8. जबकि, इस तरह के विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि इन राज्यों द्वारा केवल सीएनजी/ईवी बसों में परिवर्तन में बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए इन राज्यों से दिल्ली-एनसीआर तक चलने वाली पुरानी बीएस-III / IV अंतर-शहर डीजल बसों को बीएस-VI डीजल अनुपालित बसों से बदलने को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया और ऐसी बसों के उचित प्रतिस्थापन की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई ।

9. जबकि, उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकारों ने पुरानी बीएस-III और बीएस-IV डीजल संचालित बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने/स्थानांतरित करने के लिए अपनी-अपनी कार्ययोजनाओं से अवगत कराया, जिसमें संबंधित ईवी नीति के अनुसार नई बीएस-VI डीजल बसें, सीएनजी बसें और ईवी खरीदने की उनकी योजना भी शामिल है ।

10. जबकि, इन राज्यों से दिल्ली-एनसीआर के लिए स्वच्छ मोड पर अंतर-शहर बस सेवाएं चलाने की वर्तमान स्थिति और पूर्ण परिवर्तन के लिए सांकेतिक समय सीमा से आयोग को अवगत कराया गया और उसके बाद दिनांक: 05.04.2024 को आयोजित बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया ।

11. अतः, अब, बैठकों के दौरान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई समय सीमा के आधार पर तथा दिल्ली-एनसीआर में परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण के निवारण के समीचीन हित में, आयोग दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली अंतर-शहर बस सेवाओं के विषयगत परिवर्तन के लिए निम्नलिखित अनुसूची का सख्ती से कार्यान्वयन करने का निदेश देता है:

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	दिल्ली-एनसीआर में अंतर शहर बस सेवाओं की कुल आवश्यकता	इन सेवाओं में वर्तमान में चल रही ईवी/सीएनजी/ बीएस-6 डीजल बसों की संख्या	सम्पूर्ण स्थानान्तरण में कमी (बसों की संख्या)	सम्पूर्ण स्थानान्तरण के लिए समय सीमा-का लक्ष्य
पंजाब	147	105	42	31.12.2024
हिमाचल	238	207	31	31.12.2024
उत्तराखंड	541	162	379	31.12.2024 तक 190 बसें और 31.03.2025 तक शेष बसें
मध्यप्रदेश	14	04	10	31.12.2024
जम्मू कश्मीर	66	20	46	30.09.2024

12. यह भी निदेश दिया जाता है कि स्वच्छ बसों जैसे ईवी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल के लिए उपर्युक्त परिवर्तन योजनाएं, राज्य सरकार के विभागों द्वारा संचालित बस सेवाओं के अलावा, अंतर-शहर बस सेवाओं

के लिए भी लागू होंगी जो राज्य पीएसयू और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं और इसलिए ऐसी एजेंसियों के माध्यम से भी इनका अच्छी तरह से प्रचार-प्रसार और प्रवर्तन किया जाना चाहिए। हालांकि, एआईटीओ लाइसेंस व्यवस्था के तहत संचालित सेवाएं वर्तमान में इन दिशानिर्देशों के दायरे में नहीं आती हैं।

13. जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों के परिवहन विभाग/यातायात पुलिस विभाग और तदनुसार अन्य सभी संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र सभी हितधारकों के बीच इन निदेशों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करेंगे और राज्य पीएसयू और अन्य निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही बस सेवाओं सहित क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के माध्यम से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता0

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार
2. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
4. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
5. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार परिवहन आयुक्त,

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. पंजाब सरकार, परिवहन आयुक्त
2. हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन आयुक्त
3. उत्तराखंड सरकार, परिवहन आयुक्त
4. मध्य प्रदेश सरकार, परिवहन आयुक्त
5. जम्मू और कश्मीर सरकार, परिवहन आयुक्त
6. हरियाणा सरकार, परिवहन आयुक्त
7. राजस्थान सरकार, परिवहन आयुक्त
8. उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन आयुक्त
9. जीएनसीटीडी, परिवहन आयुक्त
10. पंजाब सरकार, एडीजीपी (यातायात)
11. हिमाचल प्रदेश सरकार, एडीजीपी (टीटीआर)
12. उत्तराखंड सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (यातायात)
13. मध्य प्रदेश सरकार, एडीजीपी (यातायात)
14. जम्मू और कश्मीर सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (यातायात)
15. हरियाणा सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (यातायात)
16. राजस्थान सरकार, एडीजीपी (यातायात)
17. उत्तर प्रदेश सरकार, एडीजीपी (यातायात)

18. जीएनसीटीडी-अपर पुलिस आयुक्त (यातायात)

सूचनार्थ प्रतिलिपि

अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सीएक्यूएम

अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव